

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय:  
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर  
जिला-रायपुर

(CII)

कानूनी दस्तावेज़

2020-06-22

क्रमांक एक 17-95 / 2017 / 38-2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 2020-06-22

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा सचालनालय  
इंदावती भवन,  
नवा रायपुर अटल नगर,  
रायपुर।

विषय:- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2020-21 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत।

संदर्भ:- आपका ज्ञापन क्रमांक 416 / 149 / आउशि / सम / 2020 दिनांक 26.05.2020

-----00-----

विषयालंगीत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी सबधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

सलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(राज्य-कुनार मंडकर)  
अवर सचिव

छठगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठांक एक 17-95 / 2017 / 38-2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि:-

- विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ अर्द्धेति।
- गाँड़ फाईल।

अवर सचिव  
छठगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

स.प. (डी)

P  
27/20

27/20  
27/20

174

# छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये  
सत्र 2020–21 हेतु  
प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत

# छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये  
सत्र 2020–21 हेतु  
प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**उच्च शिक्षा विभाग**  
**छत्तीसगढ़ के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश**  
**के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत**  
**सत्र 2020-21**

1. प्रयुक्ति :-  
पै. मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ प्रवेश के लिए उच्च विद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ राहगरित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
2. प्रवेश की तिथि :-  
प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-  
इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु "ऑनलाइन" कार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने कार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रवित किये जायेंगे। ऑफलाइन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।  
(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाइन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक हारा निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।  
(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की विधि में पूर्व सन्दर्भ  
के अनुसार प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित संतुष्टि
22. प्रवेश हेतु अतिम तिथि निर्धारित करना :-  
स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 01 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राचार्य स्वर्य तथा 15 सितंबर तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 अगस्त से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के भीतर) शासन हारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जावेगी। परीक्षा परिणाम घोषित होने की विधि में प्रवेश की अतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम पापा होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कड़िका 5.1 (क)

में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अनिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनको पुत्र-भुतिगों को स्थान रिक्त होने पर ही शब्द के द्वारा प्रवेश दिया जाता किन्तु इसके लिए कर्मचारी हारा कार्यभार शुहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही दीक्षा दिया जायेगा।

### स्पष्टीकरण :-

आवेदक 'ज' ने किसी अन्य स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के लिए नियमानुसार किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है। रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है। रिक्त स्थान (अ) में जहाँ उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी जायेगा। आवेदक 'ख' ने स्थान (अ) में जहाँ उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी जायेगा। आवेदक 'ख' के स्थान (अ) में जहाँ उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी जायेगा। आवेदक 'ख' के स्थान (ब) में जहाँ उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी जायेगा। आवेदक 'ख' के स्थान (ब) में जहाँ उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी जायेगा। आवेदक 'ख' के स्थान (ब) में जहाँ उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी जायेगा। आवेदक 'ख' के स्थान (ब) में जहाँ उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी जायेगा।

तिथि नियम जाने के बाद आवेदक ('ख') को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

- 2.2 पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-  
पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को विधि संकाय के अधिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, महाविद्यालय के मूलपत्र की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में स्थान रिक्त होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

### प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

- 3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण / उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्थीकृत छात्र संख्या (सीट) अनुमति ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य संस्कारण में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उठाकर शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बड़े कुए़ स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्रवाई करें।"
- 3.2 विधि स्नातक प्रथम वित्तीय तृतीय वर्ष एवं यंत्रवर्षीय पाठ्यक्रम वीरेल एल बी. की कक्षाओं में शार कोसिल हारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेवन (अधिकतम 4 सेवन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे।
- 3.3 सम्बद्ध विद्याविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय हारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय / विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय / विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों की प्रवेश देंगे।

*Arctam*

### प्रदेश सूची :-

- प्रवेश सूची :-**

प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अरेंज तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अरेंज तिथि की अहंकारी परीक्षा में प्राप्तिकों एवं जहाँ अधिमार देख देकर कुल प्राप्तिकों की मुण्डानुसार सूची प्रतिशत अक्स सहित सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

प्रवेश समिति द्वारा आयश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से बिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश-प्रमाणित किये जाने एवं स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश-पत्र शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र पर प्रदेश दिया गया की भोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाधियालय ने प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निररत की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु बिलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से बदला जायेगा। तथापि ऐसे प्रकरणों में 15 सितम्बर के पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की छिटीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एक आईआर दंडे किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमाक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त रिपोर्ट में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वधन पत्र लिया जाये।

महाधियालय के ग्रामांश स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से सबधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि सबधित छात्र श्रीमान/अनुशासननहीनता/लोडफोड आदि में गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि सबधित छात्र श्रीमान/अनुशासननहीनता/लोडफोड आदि में गोपनीय रिपोर्ट को रीलबन्द लिंकाफे में बन्द कर उस महाधियालय संलिङ्ग है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को रीलबन्द लिंकाफे में बन्द कर उस महाधियालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहाँ कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

राज्य शासन द्वारा, शासकीय महाधियालयों में अध्ययनरत स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

**प्रवेश की पात्रता :-**

**निवासी एवं अहंकारी परीक्षा :-**

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी छत्तीसगढ़ में स्थायी सपत्निधारी निवासी/राज्य या कन्द राज्यकार के शासकीय कर्मचारी अवैशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी। राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा सबालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी। जिनका पदाकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जाम्मू काश्मीर के

See this

विश्वापितो तथा उनके अधिकारी को ही शासकीय मत्तृप्रियालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्त अनुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य आवेदकों के मान्यता पापत बोर्ड एवं अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।


- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही नहाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) अनुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

#### 5.2 स्नातक स्तर पर नियमित प्रवेश —

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अध्यवा दी.एस.सी. (बायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की कमश: द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

#### 5.3 स्नातकोत्तर स्तर पर नियमित प्रवेश —

- (क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमश: एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एन.ए.—प्रथम सेमेस्टर एवं अहंकारी विषय लेकर, बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.—सी./एम.ए.—प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व-भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अहंता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अहंता ही बंधनकारी होंगे।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम —
1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अद्वितीय तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
  2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।



विधि संकाय नियमित प्रवेश

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों की कमशी एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रदेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार दृतीय चतुर्थ प्रथम सेमेस्टर में भी प्रदेश की यही प्रक्रिया लागू होगी।

— ये तीव्र अर्द्धकाशी परीक्षा में न्यूनतम अक्ष सीमा :-

- प्रवेश हेतु अहंकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-  
 (क) यदि स्नातक प्रथम दर्जे में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति / अन्य) पिछड़ा दर्जे 42% होगी। तथा यदि स्नातकोत्तर पूर्वाप्नी में 55% अंक (अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति / ओडीआर्मी सेना हेतु 50%) प्राचल आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

55 हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रदेश का पात्रता होगा।  
ANTE-NATAL/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित  
संस्था द्वारा प्राप्त संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

— १०५ —

- समकक्ष परीक्षा :- सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.). इंडियन लौसिल कार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएँ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष भान्य हैं। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की अन्य समकक्ष विद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।



- 6.3 संस्थाओं से डिप्री/डिप्लोमा पैदानिक रूप से मान्य नहीं होता। सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त टिक्टिक्षणालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी कर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय ग्रा. शिक्षण संस्थाओं जिनकी उपाधि मान्य नहीं हैं, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

- 6.4 विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।  
वर्ष 2012 में प्रारम्भ किए गए एनवीईफॉर्म (National Vocational Educational Qualifications Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण ज्ञानदेको को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक

के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राधिकारी  
प्रदान की जाए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार पत्र क्रमांक

1-52/2013(सीसी/एनएसव्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार -

‘जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित शष्टीय  
कौशल अहंता सरचना (एनएसव्यूएफ) में मानव संरक्षण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय  
व्यावसायिक शैक्षिक अहंता सरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूचबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण  
तथ्यों को नियमित किया गया है। जैसा कि एनएसव्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह  
1 से 10 सार तक के प्रमाण—पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण  
पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध  
हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों  
को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को  
समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण—पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसव्यूएफ के स्तर 4  
के प्रमाणित रूप सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संरक्षण  
के प्रमाणित रूप सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संरक्षण  
विकास मंत्रालय भारत सरकार ने आशका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं  
महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके  
पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः ऐसे आपसे  
स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हों तो उस समय ऐसे विषयों  
को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राधिकारी प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों  
को हीतिजिक गतिक्रमकारी के लिए सुअवसर मिल सके।’

#### वाह्य आवेदकों का प्रवेश -

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस.-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमश: द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण—पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की प्रथम/द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा या प्रथम/द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जाये।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्राप्ति में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी ग्रन्ती की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर सबधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उस प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से विचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्यों के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण सबधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यार्थी आवेदकों को स्थान दिया जाने पर तथा महाविद्यालय के मूलपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राप्तार्थी द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :—

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान दिया जाने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर समस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-कटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक विवरणीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में निर्धारित एसीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरीक्त कड़िका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतं निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अहंताएः—

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी वर्ष/वर्षों में पुनर नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनहीं नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल रूपान्तरण प्रमाण—पत्र तथा संपथ—पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में बालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्घटनाएँ/मारपीट करने के गमीर आरोप ही/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ तो ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/शैशिक के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु रामिति गठित कर जॉच फरवार्य एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त

*मृगी*

किया जाए। ऐसे छात्र-छात्राओं का नियमित्यालय राज्य के लिए भी संविधान में प्रवेश न दिया जावे।

#### 9.4 प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-

- (क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम रोमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई को रिधाति में ही जाएगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु नियमित अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष मात्र की जाएगी।
- (ख) आयु सीमा का बद्धन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/ कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रयोजित व अनुशसित प्रत्याशियों भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गए छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में एमटरीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।
- (ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।
- (घ) सरकृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम रोमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (ङ) विधि संकाय को जोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निःशक्त अन्यर्थी/आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।

4.5 एकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरात लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोजित का अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

4.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

#### 10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का नियंत्रण :-

- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।
- (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अहंकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देख है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा (ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो उसविद्यालय द्वारा नियमित मापदण्डों के अनुसार होगी।
- 10.2 अनावृति एवं आवृति श्रेणी के लिये अलग—अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जायेगी।
11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-
- (i) स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अहंकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जायेगी।

- लालक / स्नातकोत्तर अमर्ती कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अहंकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित / उत्तीर्ण मूलपूर्व नियमित / एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित / स्वाध्यायी विद्यार्थीयों के क्रम में होगा।
- 11.3. यिनी संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एव्रोट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश हिया जावे अन्य कम यथावत रहेगा।
- 11.4. स्नातक सत्र के श्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी स्नातक सत्र के श्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/ तहसीलों/ ज़िलों के नियासरत अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गणनाक्रम से प्रवेश दिया जाए।
- 11.5. किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रदेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।
12. आरक्षण-छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-
- 12.1. प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रदेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इराका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :-
- (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुब्रप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटे अनुसृचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
  - (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुब्रप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटे अनुसृचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
  - (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुब्रप्त संख्या में से बीदह प्रतिशत सीटे अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी। परन्तु जहाँ अनुसृचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटे पात्र विद्यार्थीयों की अनुपलब्धता के कारण अतिम लिंगियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अनुसृचित जातियों से तथा विपरीत कम में पात्र विद्यार्थीयों में से भरा जाएगा।
  - (घ) यह और कि पूर्वगामी परन्तुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी जहाँ खण्ड (क) परन्तु यह और कि पूर्वगामी परन्तुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी जहाँ खण्ड (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटे, अलिंग लिंगियों पर रिक्त रह जाती है, तो इस (घ) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटे, अलिंग लिंगियों पर रिक्त रह जाती है, तो इस अन्य पात्र विद्यार्थीयों से भरा जाएगा।
- 12.2. (1) दिनु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उच्चाधिकार (उठीकरण) रूप से अद्यारित किया जाएगा।
- (2) निश्चित व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कामिकों, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम निश्चित व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कामिकों, स्वतंत्रता संग्राम निश्चित व्यक्तियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में शैक्षणिक आरक्षण का सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में शैक्षणिक आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह दिनु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उच्चाधिकार आरक्षण के भीतर होगा।
- 12.3. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र, भेत्रियों और नाती/ नातिन के लिए प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निश्चित श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

*N.K. 2018*

सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्रों के लिये आरक्षित होग। आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन अमीटेशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अधारपूर्व अप्रभावित रहेंगी। परन्तु यदि ऐसा विश्वासी किसी सर्वं जैसे— स्वतंत्रता संघर्ष सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में मरी जानी जायेगी। शेष सदमे की सीटें भरी जायेंगी।

आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम जाता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की रख्या एक होगी।

जम—कड़ीर विद्यापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट दृष्टि कर प्रवेश दिया जाए। तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

हमह—समस्त पर लासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

कड़िका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय विलासपुर के निर्णय के अध्यादीन रहेगा।

तृतीय लिंग के व्यवितरण को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अर्थोरिटी विरुद्ध भारत राजकार एवं अन्य में प्राप्ति निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कड़िका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि— “We direct the Centre and the State Government to take steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments.” का उद्धार से पालन किया जाए।

### अधिभार—

अधिभार मात्र गुणानुकम नियांरण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अईकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत पर ही अधिभार दिया होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण—पत्र प्रवेश आवेदन—पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन—पत्र जमा करने के मश्यात बद्द में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण—पत्र हैं। अधिभार हेतु विवार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

### 13.1 एन सी सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेनजर्स/रोवर्स के अधे में यढ़ जावे।

(क) एन.एस./एन.सी.सी. “ए” सर्टिफिकेट 02 प्रतिशत

(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. “बी” सर्टिफिकेट 03 प्रतिशत

या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स 04 प्रतिशत

(ग) जी. सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स 04 प्रतिशत

(घ) राज्य सरकारी संघर्षनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता

में भूप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को

*M. M.*

(च)	नह दिल्ली के गणतन्त्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन सी सी / एन एस कॉटिनोन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(झ)	राज्यपाल रकाउट्स	10 प्रतिशत
(झ)	राष्ट्रपति रकाउट्स	10 प्रतिशत
(झ)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत
(झ)	ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत
(झ)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के नव्य युथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भारत एवं अन्य राष्ट्रों के नव्य युथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के लिए व्ययनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय जन्मदी के लिये व्ययनित होने वाले विद्यार्थीयों को	15 प्रतिशत
13.2	आनंद विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर	10 प्रतिशत
13.3	खल्कूट / साहित्यिक / सांस्कृतिक / विवाज / रूपाकान प्रतियोगिताएँ - (1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला समाग रत्तर अध्ययन केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर समाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में - (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत (2) उपर्युक्त क्रिकेट 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रनाली समाग रत्तर अध्ययन केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए आई.यू. द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में - (क) प्रथम, द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत (ग) समाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत (3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित सरादीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में - (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम 15 प्रतिशत (ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम 12 प्रतिशत (ग) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत	

उत्तर : एय प्रकार राष्ट्री के मध्य यूथ अधिकारी गाहन्स एवं कल्परत्न विद्यालय ग्राहकों को उत्तर विज्ञान / सारस्कृतिक / साहित्यिक /	10 प्रतिशत
उत्तरीसगढ़ शासन / भाषा वो मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में -	
(क) छात्रीसमक्ष / प्रथम का प्रतिसिद्धित करने वाली टीम के सदस्यों को	10 प्रतिशत
(ब) प्रथम द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली उत्तरीसगढ़ की टीम के सदस्यों को	12 प्रतिशत
13.6 ब्रह्मा कर्मीर के विरक्षापिता तथा उनके आश्रितों को	01 प्रतिशत
13.7 विशेष प्रोत्साहन :- उत्तरीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय को हित में एन.सी.सी. / खेलकूद को प्रोत्साहन दने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय सत्र के सर्वेक्षण कैडेट्स तथा ओलिम्पियाड / एशियाड / स्पोर्ट्स अथारिटी औफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सत्र पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को वर्गीर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पाजता है कि :-	
(1) उन दालाल के प्रमाण-पत्रों को सचालक, खेल एवं युवक कल्याण, उत्तरीसगढ़ शासन द्वारा अनिवार्यता किया गया हो, एवं	
(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अतार्पाता अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार दालाल करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।	
13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु रक्कूम फ्लैट के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्ण सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।	
14 संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन :- स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अंडकारी परीक्षा के संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश वाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तानकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जाएगा, अधिभार घटे हुए प्राप्तानको पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के द्वारा संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलन्य से मुख्य परीक्षा परिणाम आन पर कांडिका 22 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्ताक संबंधित विषय / संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।	

*Mr. Ram*

15. शिष्यसत्

कारो भ्रगत रिपोर्ट प्राप्त होगा वरन् उसे आवृत्ति किया जाएगा।

महाराष्ट्र में पदस्थ प्रधानपक सुपरवाइजर के अन्यत्र श्वानातरण हो जाने की रिपोर्ट में शोध भाग ऐसी स्थिति में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहाँ से उनका शोध आवंटन उत्तर प्रयोगित किया गया था, शोध कार्य पूरा हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाराष्ट्रलाई के प्राचार्य अंगेशित करेंगे। संदर्भित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहप्रित करते हुए लागू होगा।

16

विशेष -

- सहपाठि करते हुए लाभ होता है।

**विशेष -**

जाली प्रभाण-पत्रों, मलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा क्रांतिकारी असाधारी घटियों किसी आदेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

6.2 व्रद्धि लेकर किसी रमुचित कारण पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपरिधत रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

6.3 14वां के बाद सत्र के दौरान कांडिका 9.2 एवं 9.3 से वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में हित विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्काशित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

6.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्काशन किये जाने की विधियों में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त उन्नयन योई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

6.5 प्रवेश के मार्गदर्शक लिखाती के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप द अभिमत देते हुए इस्पष्टीकरण / मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को कवल अवैधित लिखकर प्रसिद्धि न किया जाए।

6.6 इन मार्गदर्शक भिज्जातों में उल्लेखित प्रायधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धातों में समय-समय पर परिवर्तन / लंशोधन / निरस्त / भलवन का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होता।